न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 67/2019

1 श्रीमती जतन कंवर उम्र 80 वर्ष पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम त्रिलोकपुरा हाल निवासी रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
1/1 दशरथ सिंह पुत्र भंवरसिंह।
1/2 मनोहर सिंह पुत्र भंवरसिंह।
1/3 कृष्णा कंवर पुत्री भंवरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण त्रिलोकपुरा हाल निवासी रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 विजय सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक
कलेक्टर प्रथम सीकर प्रकरण विजय सिंह
बनाम जतन कंवर टी.आई.संख्या 241/2012
आदेश दिनांक 26.07.2019

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 14.09.21

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 241/2012 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 766 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 767 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 768 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 769 रकबा 1.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 773 रकबा 0.06 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी खसरा नम्बरा 774 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 776 रकबा 1.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 11 रकबा 5.36 हैक्टेयर वाके तन रानोली तहसील दांतारामगढ़ में अवस्थित है, जो वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की संयुक्त पैतृक संपत्ति है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। आराजी में 1/2 में से 1/4 हिस्से पर प्रार्थी काबिज काश्त है, लेकिन सहवन से खातेदारी अप्रार्थीया व दावे के प्रतिवादी संख्या 2,3 की माता जतन कंवर के नाम से गलत रूप से चली आ रही है, जिसकी रिकार्ड दुरूस्ती वादी के पक्ष में किया जाना काननून न्याय संगत है। अप्रार्थीया गलत खातेदारी की आड़ में उक्त 1/2 हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को विकय करने पर आमादा है। अत अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करने हेतु निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट ने अपने आवेदन में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि उक्त कृषि भूमियां उनकी संयुक्त कब्जे काश्त एवं पुश्तैनी कृषि भूमियां होने का कथन किया है जबकि अप्रार्थी/अपीलांट ने अपने जवाब आवेदन व प्रस्तुत दस्तावेजात से यह बखूबी साबित किया है कि उक्त कृषि भूमियां पूर्व खातेदार आनन्द सिंह से दिनांक 27.12.1975 को क्रय की है तथा बाद क्रय अपीलांट उक्त भूमियों की खातेदार काश्तकार चली आ रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमांबदीयों से यह बैखुबी साबित है कि भूमियां अपीलांट की स्वअर्जित है तथा पंजिकृत विक्रय पत्र को अनदेखा किसी भी रूप में नही किया जा सकता। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है तथा कानूनी स्थिति भी स्पष्ट है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार की टी.आई. से पाबन्द नही फरमाया जा सकता। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने यह प्रमाणित कर दिया था कि अपीलांट की चुनौतीग्रस्त कृषि भूमियां उसकी खरीद शुद्वा स्वअर्जित है रेस्पोडेंट का कोई पुश्तैनी हक हिस्सा अवस्थित नही है तथा अपीलांट खातेदार काश्तकार है इस कारण रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला सुपुष्ट नही था तथा सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पक्ष में नही था तथा अपूरणीय क्षति सिदान्त भी रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पक्ष में नही था इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अत अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से विवादित भूमियों को वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते कब्जे काश्त की संयुक्त पैतृक सम्पति मानते हुये विचाराधीन आदेश पारित किया है जबकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत जवाब एवं विक्रय पत्र दिनांक 27.12.1975 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 10/10 की भूमि खसरा नम्बर 694,695,696,697,698,699 में से 1/2 हिस्सा भूमि खातेदार आनन्द सिंह द्वारा अपीलांट श्रीमती जतन कंवर को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विक्रय की गई है। स्पष्ट है कि अपीलांट इस भूमि को क्रय कर खातेदार काश्तकार हुई है यह भूमि पैतृक नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में विवादित भूमि को पैतृक मानते हुये विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर